

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)  
शुद्धि-पत्र

दि० - 10 - 12 - 14

परियोजना राज्य उच्च पथ सं०-88 वरुणापुल (एन०एच०-103) से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु मौजा-महतवार चादर नं०-2, परगना-धरौर, थाना-घनश्यामपुर, थाना नं०-398, अंचल-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा के भूमि अर्जन हेतु विभागीय पत्रांक 34/रा०, दिनांक 07.01.13 द्वारा निर्गत अधिसूचना तथा विभागीय पत्रांक 41/रा०, दिनांक 08.01.13 द्वारा निर्गत अधिघोषणा में अंकित अर्जनाधीन रकवा-3.60 एकड़ के स्थान पर 3.89 एकड़ अंकित होना पढ़ा जाय तथा पूर्ण खेसरा सूची में अंकित खेसरा सं०-2807 के स्थान पर 2801 एवं खेसरा सं०-3100 के ठीक बाद खेसरा सं०-3078 अंकित होना पढ़ा जाय तथा तदनुसार संशोधित माना जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश

अमीन, 24/9/14  
अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।  
अपर समाहर्ता, दरभंगा।  
स मा ह र्ता, दरभंगा।  
अवर सचिव, बिहार सरकार।

ज्ञाप सं० - 15/डी०एल०ए०, दरभंगा (रा०उ०प० सं०-88)-109/2012- 1590/रा०, दि० - 10 - 12 - 14

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियां सी० डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)  
सरकार के अवर सचिव।